(52)

छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर-अटल नगर

क्र. 1653 / एफ-1-149 / 31 / एस-2 / 2020, नवा रायपुर, दिनांक 25/03/2021

प्रति,

मुख्य अभियंता,
मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना,
जल संसाधन विभाग,
बिलासपुर (छ.ग.)

विषयः- जांजगीर-चांपा जिले के विकासखण्ड सक्ती के अन्तर्गत हसदेव बांयी तट नहर प्रणाली के अन्तर्गत जर्वे माईनर के आर.डी. 0 से 4000 मी., जर्वे सब माईनर के आर.डी. 0 से 1500 मी. के क्षतिग्रस्त सी.सी. लाईनिंग का पुनर्निर्माण, बहेरा माईनर के आर.डी. 150 मी. पर सुपर पैसेज का निर्माण, बोकरामुड़ा माईनर के आर.डी. 0 से 1000 मी. तक नहर के शेष मिट्टी का कार्य एवं सी.सी. लाईनिंग का निर्माण कार्य, कोलाबा लगाने का कार्य तथा जर्वे माईनर के आर.डी. 150 से 510 मी. में क्षतिग्रस्त फाल का पुनर्निर्माण। आर.डी. 1350 मी. एवं आर.डी. 3870 मी. में क्षतिग्रस्त व्ही.आर.बी का पुनर्निर्माण, जर्वे माईनर-1 के आर.डी. 300 मी. में सी.डी. आर.डी. 750 मी. में व्ही.आर.बी. निर्माण कार्य, जर्वे माईनर के आर.डी. 2500 से 3000 मी. तक टो-वॉल एवं मिट्टी का कार्य, आर.डी. 0 से 3500 मी. तक मुरूम बिछाने का कार्य, सकरेली माईनर के आर.डी. 2000 मी. से 3700 मी. तक क्षतिग्रस्त सी.सी. लाईनिंग का मरम्मत कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।

संदर्भ :- प्रमुख अभियंता का पत्र क्र.-195 / बो.प्र. / प्रशा.स्वी. / 2020 / 9535, दिनांक 26.10.2020.

--00--

राज्य शासन एतद् द्वारा जांजगीर-चांपा जिले के विकासखण्ड सक्ती के अन्तर्गत हसदेव बांयी तट नहर प्रणाली के अन्तर्गत जर्वे माईनर के आर.डी. 0 से 4000 मी., जर्वे सब माईनर के आर.डी. 0 से 1500 मी. के क्षतिग्रस्त सी.सी. लाईनिंग का पुनर्निर्माण, बहेरा माईनर के आर.डी. 150 मी. पर सुपर पैसेज का निर्माण, बोकरामुड़ा माईनर के आर.डी. 0 से 1000 मी. तक नहर के शेष मिट्टी का कार्य एवं सी.सी. लाईनिंग का निर्माण कार्य, कोलाबा लगाने का कार्य तथा जर्वे माईनर के आर.डी. 150 से 510 मी. में क्षतिग्रस्त फाल का पुनर्निर्माण। आर.डी. 1350 मी. एवं आर.डी. 3870 मी. में क्षतिग्रस्त व्ही.आर.बी का पुनर्निर्माण, जर्वे माईनर-1 के आर.डी. 300 मी. में सी.डी. आर.डी. 750 मी. में व्ही.आर.बी. निर्माण कार्य, जर्वे माईनर के आर.डी. 2500 से 3000 मी. तक टो-वॉल एवं मिट्टी का कार्य, आर.डी. 0 से 3500 मी. तक मुरूम बिछाने का कार्य, सकरेली माईनर के आर.डी. 2000 मी. से 3700 मी. तक क्षतिग्रस्त सी.सी. लाईनिंग का मरम्मत कार्य हेतु लागत राशि रु. 261.10 लाख (रुपये दो करोड़ इकसठ लाख दस हजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2. प्रस्तावित कार्यों के उपरांत योजना की रूपांकित सिंचाई (975 हेक्टेयर) में 292.91 हेक्टेयर की हो रही कमी की पूर्ति सहित पूर्ण रूपांकित क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित है।

3. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.006 के नीचे दिये गये नोट 3(बी) एवं 3(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरांत योजना का पूर्णता प्रमाण-पत्र शासन को दिया जावे ।

4. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-एक के नियम-10 के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो ।

5. योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या-23, जल संसाधन विभाग, लेखाशीर्ष-4700-वृहद सिंचाई पर पूंजी परिव्यय, [01] हसदेव बांगो परियोजना {800}-अन्य व्यय, 0101 राज्य आयोजना (सामान्य), (2898)-बांध तथा संलग्न कार्य, #26- वृहद निर्माण कार्य, 005-बांध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।

सा.-1/सा.-2/सा.-3/बजट/स्था.सा.-1/स्था.सा.-2/
स्था.सा.-3/स्था.मु.-1/स्था.मु.-2/ स्टेनो/पी.एम.ई./
कार्य/मु.लि./मु.नि./वि.प्र./ज.सू./आवास

...2

AARAA.199.doc.docx

ले.अधि. यां.प्र.अधि. अधी. अभि. मु.अ.

(मुद्रा: 1743, 01-04-21)

6. छ.ग. शासन, वित्त एवं योजना विभाग, मंत्रालय के वित्त निर्देश 48/2018 अनुसार गठित समिति की बैठक दिनांक 10.03.2021 द्वारा सहमति प्रदान की गई है।
7. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। लागत वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।
8. निर्माण कार्य की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।
9. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

25/03/2021
([illegible])
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग

पृ.क्र. 1654 /एफ-1-149/31/एस-2/2020, नवा रायपुर, दिनांक 25/03/2021

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
2. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
4. सचिव (वित्त), छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
5. सचिव, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
6. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
7. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
8. कलेक्टर, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)।
9. संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर।
10. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, अटल नगर।
11. उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.-एस 4-22 अटल नगर।
12. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट, कार्यालय प्रमुख अभियंता, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर-अटल नगर।
13. अधीक्षण अभियंता, केलो परियोजना बांध मण्डल, खरसिया, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)।
14. कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र.-1, सक्ती, जिला-जांजगीर-चांपा।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

15. आदेश फोल्डर।

25/03/2021
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग

[illegible] AARAA.199.doc.docx

Scanned with CamScanner